रजिस्ट्री सं०डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 59] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 4, 1975/चैत्र 14, 1897

No, 59] NEW DELHI, FRI DAY, APRIL 4, 1975/CHAITRA 14, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

RAJYA SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd April 1975

No. RS. 1/2/75-L.—The following order by the President, dated the 2nd April, 1975, is published for general information:—

"In exercise of the powers conferred upon me by clause (1) of article 85 of the Constitution, I hereby summon the Rajya Sabha to meet at 11.00 A.M. on Monday, the 28th April, 1975, at New Delhi.

FAKHRUDDIN ALI AHMED,
President."

The 2nd April, 1975

S. S. BHALERAO,
for Secretary-General.

राज्य सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली 3 अप्रैल 1975

सं० आर० एस० 1/2/75-एन०.—राष्ट्रपति द्वारा दिया गया निम्नलिखित आदेश दिनांक 2 अप्रैल, 1975, आम सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

"संविधान के अनुच्छेद 85 के खण्ड (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एतद्द्वारा राज्य सभा को सोमवार, 28 अप्रैल, 1975 को मध्याह्नपूर्व 11 बजे नई दिल्ली में समवेत होने के लिए आमंत्रित करता हूं ।

फखरुद्दीन अली अहमद
राष्ट्रपति ।"

2 अप्रैल, 1975

एस० एस० भालेराव,
कार्य महासचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975